

(නමුත් ජනතාවගේ අතීතය සහ අනාගතය)

क.सं.	परियोजना विवरण :-	(क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्क्रीम का संक्षिप्त विवरण। जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्थानीय से इंडिया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।
1	(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वर्गी की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। (ग) परियोजना की लम्बाई।	संग्रहित है।
	(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	विस्तृत औचित्य प्रस्ताव में संग्रहित है।
	(ङ.) लम्बाई लम्ब दिशादिक् (संग्रहित किये जाने के लिए)	प्रस्ताव में संग्रहित है।
	(च) योजनाएं जिनके पैदा होने की संभावना है।	मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 30-40 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ही नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रुकेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: आरक्षित वन भूमि- 0.472 हे० सिंचित सौधम वन भूमि - 0.715 हे० वन पचायत भूमि - 0.576 हे० कुल वन भूमि - 1.763 हे० नाप भूमि - 3.705 हे० कुल भूमि :- 5.468 हेक्टर (कच्चा ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु)	
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो, (क) परिवारों की संख्या (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	आवश्यकता नहीं है। लगा नहीं है।
	(ग) पुर्नवास योजना (संग्रहित किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव की कम संख्या (प्राति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

(उमेश चन्द पन्त)
अध्यापक
प्राचीन भारतीय इतिहास
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

(मुवन चन्द जोशी)
सहायक अध्यापक
प्राचीन भारत का इतिहास
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

प्रयोक्ता ऐजेंसी के हस्ताक्षर, नाम, मुहर

दिनांक 15/04/2020 स्थान- जयपुर

4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	मोटर मार्ग कच्चा निर्मित होना है। अतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मजूरी की आवश्यकता नहीं है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसंधान और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सामान्य नियमों के अन्तर्गत दृग्गुण स्थिति सौधम भूमि में वनीकरण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आगमन एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण का आगमन वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव में लगाया गया है। वृक्षारोपण व्यय, एनपीवी 10 तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पौधारोपण में आने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा वहन करने सम्बन्धी वचनबद्धता भी प्रस्ताव में संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अधिलिप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौता।	सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित हैं।